अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन की कार्यवाही जनपदीय समिति द्वारा पूर्ण पारदर्शिता से की जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, ताकि कोई भी विद्यालय एकल शिक्षक अथवा शून्य शिक्षक न रहें।

भवदीय,

Digitally signed by
PARTHA SARTHI SENSHARMA
Date: 14-11-2025 17:19:17
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।
**प्रतिलिपिः** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज/वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, डायट, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
10. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, समस्त जनपद, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
ANAND KUMAR SINGH
Date: 14-11-2025
17:22:20

(आनन्द कुमार सिंह)
उप सचिव।

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 15 नवम्बर, 2025

विषयः बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अन्त: जनपदीय (Intradistrict) स्थानान्तरण/समायोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-शि0नि0(बे0)/41773-75/2025-26, दिनांक-27.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया है।

2 - इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के शैक्षिक हित में शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है:-

1. जनपद स्तर पर अन्त: जनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन की कार्रवाई निम्नवत समिति द्वारा किया जायेगा:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 3. | प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान | सदस्य |
| 4. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य सचिव |

2. अन्त: जनपदीय स्थानान्तरण की कार्रवाई ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में की जायेगी।
3. यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालय को चिन्हित किया जायेगा।
4. अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण अपेक्षाकृत से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों से शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में उस सीमा तक किया जायेगा, ताकि हर विद्यालय में कम से कम 02 अध्यापक हो।
5. शिक्षकों की पदोन्नति, अन्यत्र स्थानान्तरण एवं अकस्तमात मृत्यु के कारण विद्यालय शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षक होने की स्थिति में जनपदीय समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।
6. अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के उपरान्त सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षक/शिक्षिकाओं के विवरण को अपलोड किया जायेगा।